उत्तर प्रदेश राजस्व अधिशेष वाला राज्य बना

चर्चा में क्यों?

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा राज्यों की **वित्तीय स्थिति** पर किये गए **दशकीय अध्ययन** के अनुसार 16 राज्य राजस्व अधिशेष की स्थिति में हैं, जिसमें **उत्तर प्रदेश** सबसे अग्रणी है।

मुख्य बिंदु

- **राजस्व अधिशेष वाले राज्य:**
  - **CAG रिपोर्ट** के अनुसार 16 राज्यों में **वित्तीय वर्ष 2022-23** में **राजस्व अधिशेष** दर्ज किया गया, जो आर्थिक रूप से **कमज़ोर** माने जाने वाले राज्यों के लिये एक **महत्त्वपूर्ण बदलाव** है।
  - **उत्तर प्रदेश** इस मामले में अग्रणी है, जिसके पास **37,000 करोड़ रुपये** का अधिशेष है, जो पहले बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था।
    - बीमारू (BIMARU) शब्द **बिहार**, **मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश** का संक्षिप्त रूप है, जो उन राज्यों का समूह है, जो ऐतिहासिक रूप से आर्थिक और सामाजिक संकेतकों में **पिछड़े रहे हैं।**
- **राजस्व घाटे वाले राज्य:**
  - **इसके विपरीत वित्तीय वर्ष 2022-23 में** कम-से-कम 12 राज्य राजस्व घाटे में पाए गए, जो गंभीर **राजकोषीय संकट** को दर्शाता है।
  - **आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान** जैसे राज्यों में सबसे अधिक घाटा दर्ज किया गया, जो केंद्रीय अनुदान पर बढ़ती निर्भरता की ओर संकेत करता है।
- **केंद्रीय अनुदान पर निर्भर राज्य:**
  - कुछ राज्य केंद्रीय वित्तीय सहायता **पर अत्यधिक निर्भर हैं,** जिसमें **पश्चिम बंगाल को** वित्तीय वर्ष 2022-23 में 16% का **सबसे बड़ा हिस्सा** प्राप्त हुआ।
  - ये अनुदान उनकी राजस्व प्राप्तियों और व्यय के बीच के अंतर को पाटने में मदद करते हैं।
- **स्वयं के स्रोतों से राजस्व:**
  - **कुछ राज्यों ने कर और गैर-कर** दोनों तरीकों से अपने राजस्व सृजन को सफलतापूर्वक बढ़ाया है।
  - इसमें **हरियाणा** सबसे आगे है, जिसकी 80% से अधिक आय उसके स्वयं के स्रोतों से आती है, इसके बाद **तेलंगाना** और **महाराष्ट्र** का स्थान है, जिनकी आय क्रमशः 70% तथा 60% से अधिक है।
- **राज्यों का अपना कर राजस्व (SOTR):**
  - **CAG रिपोर्ट** में कुछ राज्यों की **SOTR** पर निर्भरता पर भी प्रकाश डाला गया है। इसमें छह राज्य-**हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात** और **तमिलनाडु** अपने राजस्व का **60% से अधिक SOTR** से प्राप्त करते हैं।
  - दूसरी ओर, कुछ पूर्वोत्तर राज्य और छोटे क्षेत्र जैसे **अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड** तथा **सिक्किम** बहुत कम **SOTR** की रिपोर्ट करते हैं, जहाँ उनके स्वयं के कर राजस्व का योगदान **20% से भी कम** है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

नियुक्ति एवं कार्यकाल

अनुच्छेद 148:

- **नियुक्तकर्त्ता:** भारत के राष्ट्रपति
- **कार्यकाल:** 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)
- **निष्कासन प्रक्रिया:**
  - उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान
  - सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के लिये संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है
- **शपथ:** भारत के संविधान, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिये

स्वतंत्रता

अनुच्छेद 148:

- **सुरक्षित कार्यकाल;** राष्ट्रपति के विवेक पर हटाया नहीं जा सकता
- कार्यकाल के बाद सरकारी पद के लिये अयोग्य
- **भारत की संचित निधि** से लिया जाने वाला वेतन एवं कार्यालय व्यय (संसदीय मत के अधीन नहीं)
  - कोई भी मंत्री संसद में CAG का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता या उसके कार्यों के लिये ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता

अनुच्छेद 149: संसद द्वारा निर्धारित सेवा शर्तें; नियुक्ति के बाद CAG को बदला नहीं जा सकता

कर्त्तव्य एवं शक्तियाँ

अनुच्छेद 149: CAG के कर्त्तव्य और शक्तियाँ निर्धारित करता है

- **लेखा:**
  - भारत एवं राज्यों की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि, एवं सार्वजनिक लेखा
  - सार्वजनिक राजस्व द्वारा वित्तपोषित सरकारी निकाय, निगम और प्राधिकरण
- **अनुच्छेद 150:** संघ एवं राज्य लेखाओं के प्रारूप पर राष्ट्रपति को सलाह देता है
- **अनुच्छेद 279:** करों और शुल्कों की शुद्ध आय को प्रमाणित करता है

अनुच्छेद 151: प्रतिवर्ष 3 लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है:

- **अध्यक्ष –** विनियोग, वित्त खातों और सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखापरीक्षा
- **राज्यपाल -** राज्य विधानसभाओं के लिये राज्य लेखा पर रिपोर्ट

भूमिका

- **संसद के एजेंट के रूप में कार्य करना:** यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक धन का उपयोग विधिक और कुशलतापूर्वक किया जाए
- **लोक लेखा समिति (PAC):** इसके सलाहकार के रूप में कार्य करती है
- पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय कानूनों का पालन सुनिश्चित करता है
- अपने ब्रिटिश समकक्ष के विपरीत, यह नियंत्रक के रूप में नहीं बल्कि **महालेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है**

संबंधित मुद्दे

- **ऑडिट रिपोर्ट में विलंब:** निगरानी और पारदर्शिता कम हो जाती है
- **पोस्ट-फैक्टो ऑडिट पर ध्यान केंद्रित करना:** सक्रिय नियंत्रण को सीमित करता है
- **संसाधन संबंधी चुनौतियाँ:** आर्थिक विशेषज्ञता और स्टाफ की कमी
- **सीमित बजट-पूर्व भूमिका:** निर्णय लेने में शामिल नहीं

के संजय मूर्ति नवंबर 2024 में CAG के रूप में पदभार संभालेंगे

CAG कार्यालय में सुधार हेतु सिफारिशें (विनोद राय-पूर्व CAG द्वारा दी गई)

- CAG के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर इसमें **PPP, पंचायती राज संस्थाओं और सरकारी वित्तपोषित समितियों को भी शामिल किया जाना**
- आधुनिक शासन के अनुरूप **CAG** अधिनियम **1971** में संशोधन करना
- नवीन CAG के चयन के लिये **कॉलेजियम प्रणाली** बनाना

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/up-emerges-as-leading-revenue-surplus-state